न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

प्रार्थना पत्र संख्या :– 396/2013 पुनः दर्ज 63/2021

उनवान

1 बाबूलाल
2 शंकरलाल } पि0 बालूराम जाति रैगर निवासी वार्ड नं0 29 अम्बेडकरनगर मनोहरपुर तहसील शाहपुरा

प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणाा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 16.12.2021

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा दावा पेश कर जाहिर किया गया कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा की खातेदारी पूर्व में वादीगण के दादा जैता पुत्र किशना के नाम थी तथा उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण के पिता बालूराम पुत्र जैता के नाम दर्ज रिकार्ड हुई,भूप्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान वादीगण एवं उनके बुजुर्गो की अभिलिखित खातेदारी की भूमि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल रकबा 0.52 है0 के मुकाबले नये ख0नं0 1567 रकबा 0.32 है0 कायम कर उनकी खातेदारी में दर्ज कर दिये गये जबकि वादीगण कदीम से अपने पूर्वजो के समय से ही सम्पूर्ण खातेदारी के रकबा 0.52 है0 पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। भू प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही के दौरान बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी विधिक अधिकार के उनकी खातेदारी का रकबा 0.20 है0 कम करके नया खसरा नम्बर 1568 कायम कर सिवायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड में कर दिया जबकि उन्हे केवल पूर्व सेटलमेन्ट की इन्द्राजात खातेदारी की पुनरावृति करनी चाहिए थी । बालूराम पुत्र जैताराम की वारिस वादीगण की बहिन प्रेमदेवी ने दिनांक 6.9.2013 को वादीगण के हक में अपने हिस्से की भूमि का हक त्याग कर दिया ।वादीगण ने कई बार प्रतिवादी से राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करने के लिए निवेदन किया लेकिन पहले तो टालमटोल करते रहे व अन्त में दिनांक 7.9.2013 को स्पष्ट इन्कार कर दिया ओर वादीगण को उनके कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि के गलत इन्द्राजात सरकारी सिवायचक भूमि से बैदखल करने की धमकी दी । यदि प्रतिवादी ऐसा करने में कामयाब हो जावेगा तो वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी धनराशि में किया जाना सम्भव नहीं होगा । इस कारण वादपत्र पेश कर वादीगण अपने हक में खातेदारी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया ।प्रतिवादी की ओर से जरिये पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार कर वादीगण का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने की प्रार्थना की । जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम की जाकर इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 19.9.2019 को वादीगण का दावा पक्षसिद्वि के अभाव में खारिज किया गया । वादीगण के द्वारा उक्त आदेश दिनांक 19.9.2019 के विरूद्व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के यहां अपील किये जाने पर माननीय न्यायालय राजस्व अपनी अधिकारी जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 6.10.2021 के द्वारा अपील अपीलान्ट की स्वीकार कर इस

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

न्यायालय के आदेश एवं डिक्री 19.9.2019 को खारिज किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि अपीलार्थी/वादी के कम हुए रकबे के सन्दर्भ में पुनः राजस्व रिकार्ड का विश्लेषण करते हुए उसमें उत्पन्न हुई भ्रान्ति को तहसीलदार शाहपुरा से स्पष्ट करवाकर प्रकरण का पुनः निस्तारण किया जावे। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 6.10.2021 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.9.2019 को निरस्त करते हुए उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.9.19 में पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना है इस सम्बन्ध में. यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ओर साक्ष्य पेश करने के लिये कहा जाता तो वह साक्ष्य पेश कर सकता था । विधि अनुसार यदि किसी तनकी को वादी साबित कर पाये तो उसे प्रतिवादी को साबित करना चाहिए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी स्वंय रिकार्ड होल्डर राज्य सरकार है जिनके पास समस्त रिकार्ड उपलब्ध है।विचारण न्यायालय को प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को रिकार्ड पेश करने के लिए आदेशित किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्राप्त न कर गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है आदि बिन्दुओं को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर ने अपने आदेश में अपीलार्थी/वादी के कम हुए रकबे के सन्दर्भ में पुनः राजस्व रिकार्ड का विश्लेषण करते हुए उसमें उत्पन्न हुई भ्रान्ति को तहसीलदार शाहपुरा से स्पष्ट करवाकर प्रकरण पुनः निस्तारण हेतु उक्त प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है ।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर से पत्रावली प्राप्त होने पर उनके आदेश दिनांक 6.10.2021 को बारीकी से मनन किया गया । माननीय न्यायालय ने साबिक ख0नं0 1040/5 के मुकाबले नये खसरा नम्बर 1567 में 0.20 है0 भूमि कम दर्ज हुई है तो इस विषय पर सम्बन्धित तहसीलदार को तलब कर इस विषय को स्पष्ट करवाया जा सकता जो कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं करवाये जाने पर निर्णय को त्रुटिपूर्ण मानते हुए इस न्यायालय के आदेश को निरस्त किया गया है। इस प्रकार माननीय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शाहपुरा को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश की पालना में लिखा जाकर रिपोर्ट प्राप्त की गई । तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा अपने पत्र कमांक रीडर/2021/ 1336 दिनांक 26.11.2021 के द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि साबिक ख0नं0 1040/5 रकबा 2बीघा 2बिस्वा का हाल ख0नं0 1567 रकबा 0.32 है0 कामय किया गया है। साबिक के मुकाबले वर्तमान मैट्रिक पद्वति से 0.53 है0 बनता जबकि 0.32 है0 ही बनाये जाने से 0.21 है0 रकबा कम हुआ है। साबिक नक्शा लट्ठा ट्रेस चकतराशी तरमीमी ग्राम मनोहपुर के सन 1942–43 सम्वत् 1999 तरमीमी सन् सम्वत अंकित नहीं है में अंकित ख0नं0 1567 का मिलान करने पर उक्त कम हुआ रकबा 1568 में मिला होना प्रतीत होता है, तथा खातेदार के पास वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण पर कब्जा होना बताया गया । तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट पर प्रार्थी को सुना गया ।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर तहसीलदार की रिपोर्ट से पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं होने पर पुनः तहसीलदार शाहपुरा से बिन्दुवार रिपोर्ट चाही गई कि ख0नं0 1567 का साबिक के मुकाबले कितना रकबा कम हुआ ? कम हुआ रकबा ख0नं0 1568 में मिला तो उसको प्रमाणित तौर पर बताये । साबिक ख0नं0 1040/5 से ख0नं0 1567 के अलावा क्या ओर भी खसरा नम्बर बने है क्या ?तथा साबिक ख0नं0 1040/5 रकबा 2बीघा 2 बिस्वा के हॉल कौनसे खसरा नम्बर और कितना कितना रकबा बना तथा साबिक नक्शे के उपर वर्तमान नक्शा सुपर इम्पोज कर कम रकबा किस खसरा नम्बर में किस तरफ समाहित हुआ है के सम्बंध में रिपोर्ट हेतु लिखा गया । तहसीलदार शाहपुरा ने उक्त बिन्दुवार रिपोर्ट अपने पत्र कमांक रीडर/2021/ 1401 दिनांक 14.12.2021 के द्वारा प्रेषित की गई कि

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

ग्राम मनोहरपुर के ख0नं0 1567 रकबा 0.32 है0 जिसके साबिक ख0नं0 1040/5 रकबा 2बीघा 2 बिस्वा था जिससे यह सिद्व होता है कि साबिक के मुकाबले हॉल ख0नं0 1567 का रकबा वर्तमान मैट्रिक पद्वति अनुसार 0.21है0 कम हुआ है। साबिक नक्शा फोटो प्रति लट्ठा ट्रेस चकतराशी तरमीमी ग्राम मनोहरपुर के सन् 1942–43 सम्वत् 1999 तरमीमी सम्वत् अंकित नहीं में अंकित खसरा नम्बर 1040/5 की तरमीम व हॉल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2039 के ख0नं0 1567 का सुपर इम्पोज करके देखने शेष रकबा ख0नं0 1568 में मिला हुआ लगता है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के ग्राम मनोहरपुर के ख0नं0 1040/5 से केवल 1567 नम्बर खसरा ही बना है।

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 6.10.2021 की पालना में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट का बारीकी से अवलोकन करने पर पाया गया कि आराजी खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा कायम नये खसरा नम्बर 1567 का रकबा 0.32 है0 रखा जाकर साबिक के मुकाबले 0.21 हैक्ट0 कम किया गया है तथा साबिक खसरा नम्बर 1040/5 से केवल मात्र खसरा नम्बर 1567 कायम किया जाना तथा कमी का रकबा खसरा नम्बर 1568 में शामिल होना तहसीलदार शाहपुरा ने साबिक नक्शा फोटो प्रति लट्ठा ट्रेस चकतराशी तरमीमी ग्राम मनोहरपुर के सन् 1942–43 संम्वत् 1999 तरमीमी सम्वत् अंकित नहीं में अंकित खसरा नम्बर 1040/5 की तरमीम व हॉल नक्शा ट्रेस सम्वत् 2039 के ख0नं0 1567 का सुपर इम्पोज करके देखने पर शेष रकबा ख0नं0 1568 में मिला हुआ लगता होना तथा साबिक खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल कायम ख0नं0 1567 रकबा 0.32 है0 का नक्शा साबिक के उपर रखकर सुपर इम्पोज करने पर हाल खसरे का साबिक के मुकाबले कम हुआ रकबा भी खसरा नम्बर 1568 में मिला होना बताया है। वादीगण के पास ही उक्त सम्पूर्ण भू भाग अर्थात 0.52 है0 पर वर्तमान में कब्जा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि साबिक खसरा नम्बर 1040/5 जिसका रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा था तथा भू प्रबन्ध विभाग ने उक्त साबिक के कायम किये गये हॉल खसरा नम्बर 1567 का रकबा 0.32 है0 ही किया गया है तथा कमी रकबा खसरा नम्बर 1568 में समाहित/मिला हुआ होना भी तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट से स्पष्ट है। साबिक खसरा नम्बर 1040/5 के हॉल कायम खसरा नम्बर 1567 के अलावा अन्य कोई खसरा नम्बर भी कायम नहीं किया जाना भी तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट से स्पष्ट है। तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट तथा वादी के द्वारा पेश वाद पत्र में अंकित तथ्य व पत्रावली में पेश दस्तावेजात के आधार पर यह स्पष्ट होता है । भू प्रबन्ध विभाग का कार्यवाही के दौरान बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के तथा बिना विधिक अधिकार किसी की भी खातेदारी कृषि भूमि को कम या ज्यादा करने का कोई कानूनन और विधिक अधिकार भू प्रंबन्ध विभाग को नहीं है, लेकिन प्रश्नागत प्रकरण में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा बिना न्यायालय आदेश ओर बिना विधिक अधिकार वादीगण की कृषि भूमि का रकबा कम किया जो कि न केवल कानूनी रूप से गलत है बल्कि नैतिक दृष्टि से भी तार्किक /तर्कसंगत नहीं है। साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हॉल कायम खसरा नम्बर 1567 का रकबा कम किया गया है तथा कमी रकबा खसरा नम्बर 1568 में मिलाया गया है तथा मौके पर कब्जा भी वादीगण का ही होना साबित होता है, हालाकि वादीगण के द्वारा कमी रकबा 0.20 है0 की दुरूस्ती खातेदारी घोषण हेतु ही वादपत्र पेश किया गया है। वादीगण के द्वारा पत्रावली में जमाबन्दी संम्वत् 2023 में वादीगण के दादा जैता पुत्र किसना जाति रैगर के नाम तथा संम्वत् 2031की जमाबन्दी व सम्वत् 2035 से 2038 में वादीगण के पिता बालू पुत्र जैता जाति रैगर के नाम ख0नं0 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदारी में दर्ज रही है। पत्रावली में पेश

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

मिलान क्षेत्रफल से भी यह स्पष्ट है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 से हॉल खसरा नम्बर 1567 ही बने है, तथा 1567 का रकबा मिलान क्षेत्रफल व जमाबन्दी सम्वत् 2069 में 0.32 है0 रखा गया है। जो लगातार चला आ रहा है। साबिक ख0नं0 1040/5 व हॉल ख0नं0 1567 का नक्शा शीट का अवलोकन से भी यह साबित होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1567 का कम किया गया रकबा आराजी खसरा नम्बर 1568 में समाहित किया गया है, तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में भी कमी रकबा खसरा नम्बर 1568 में मिला हुआ होना बताया है। वादीगण बाबूलाल के द्वारा पेश शपथ पत्र व गवाह धोकल पुत्र भूराराम जाति रैगर के शपथ पत्र में भी यही जाहिर किया गया है कि साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 में वादीगण के दादा कब्जा काश्त रहा है तथा उनकी मृत्यु के बाद वादीगण के पिता का नाम जमाबन्दी में आ गया तथा इसके नये खसरा नम्बर 1567 कायम किये परन्तु रकबा 0.20 है0 कम कर मात्र 0.32 है ही दर्ज कर दिया तथा शेष रकबा को खसरा नम्बर 1568 में मिलाकर उसके सिवायचक दर्ज कर दिया जबकि उस पर अब भी वादीगण ही काबिज रहकर काम मे लेते है व वादीगण का रकबा सिवायचक दर्ज हो जाने से तहसील कर्मचारी वादीगण को बेदखली की धमकी देते है। वादी ने अपने स्वंय के शपथ पत्र में साबिक खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा का भू प्रबन्ध विभाग ने नये खसरा नम्बर 1567 कायम किये परन्तु रकबा 0.20 है0 कम कर मात्र 0.32 है ही दर्ज कर दिया तथा शेष रकबा को खसरा नम्बर 1568 में मिलाकर उसके सिवायचक दर्ज कर दिया। जबकि वादी सेटलेमेन्ट के पुराने रकबे के हिसाब से 0.52 है0 भूमि पर काबिज रहकर कास्त करना जाहिर किया गया है।

प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण का वादपत्र इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.9.2019 को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के आदेश दिनांक 6.10.2021 में उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 19.9.19 में पर्याप्त साक्ष्य नहीं माना है इस सम्बन्ध में यदि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को ओर साक्ष्य पेश करने के लिये कहा जाता तो वह साक्ष्य पेश कर सकता था । विधि अनुसार यदि किसी तनकी को वादी साबित न कर पाये तो उसे प्रतिवादी को साबित करना चाहिए। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी स्वंय रिकार्ड होल्डर राज्य सरकार है जिनके पास समस्त रिकार्ड उपलब्ध है।विचारण न्यायालय को प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट को रिकार्ड पेश करने के लिए आदेशित किया जाकर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था, किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट से रिकार्ड प्राप्त न कर गलत अपीलाधीन निर्णय पारित किया है आदि बिन्दुओं को आधार मानते हुए माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर ने अपने आदेश में अपीलार्थी/वादी के कम हुए रकबे के सन्दर्भ में पुनः राजस्व रिकार्ड का विश्लेषण करते हुए उसमें उत्पन्न हुई भ्रान्ति को तहसीलदार शाहपुरा से स्पष्ट करवाकर प्रकरण पुनः निस्तारण हेतु उक्त को प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया गया है । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19.9.2019 में राजकीय पैरोकार ने अपने जवाबदावा में यह तो स्वीकार किया कि वादी की साबिक ख0नं0 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा थी वर्तमान में नया खसरा नम्बर 1567 बनाया गया जो 0.32 है0 का है शेष रकबा सिवायचक दर्ज बाबत प्रार्थी साक्ष्य में साबित करे । माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 6.10.2021 की पालना में तहसीलदार शाहपुरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके तथ्य ऊपर वर्णित किये जा चुके है।

उपरोक्त विवेचने के आधार पर वादीगण के द्वारा पेश वादपत्र तथा तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट साबिक नक्शा व हॉल नक्शा ट्रेस से प्रकरण में तनकीवार निष्कर्ष निम्न प्रकार निकलता है।

तनकी संख्या –1 आया खसरा नम्बर 1567रकबा 0.32 है0, 1568 में से 0.20 है0 भूमि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराने व रिकार्ड में अमल कराने के अधिकारी है जिम्मे वादी :– इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण व माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 6.10.21 की पालना

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

में तहसीलदार शाहपुरा पर था जिसके सम्बन्ध में वादीगण के द्वारा पेश दस्तावेजात से यह पूर्णतया सत्य है कि वादीगण के दादा–पिता के नाम साबिक आराजी खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि खातेदारी में थी तथा भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा बिना किसी न्यायालय के आदेश के वादी का रकबा कम करके 0.52 है0 के स्थान पर 0.32 है0 कम कर दिया गया । उक्त कमी रकबे के सम्बन्ध में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हो गया है कि वादीगण का साबिक के मुकाबले रकबा कम किया गया है तथा तहसीलदार शाहपुरा द्वारा पेश किया गया नक्शा ट्रेस साबिक व हाल के सुपर कम्पोज आदि करने से यह भी साबित होता है कि आराजी खसरा नम्बर 1567 का कम किया गया रकबा आराजी खसरा नम्बर 1568 में शामिल किया गया है । वादी स्वंय के द्वारा पेश शपथ पत्र व गवाह के द्वारा पेश किया गया शपथ पत्र में भी वादीगण साबिक रिकार्ड के अनुसार ही मौके पर 0.52है0 पर कब्जा कास्त होना बताया गया है तथा तहसीलदार शाहपुरा की रिपोर्ट में भी मौके पर वादीगण का कब्जा साबिक रिकार्ड के अनुसार होना बताया गया है। इस प्रकार तनकी संख्या 1 वादीगण के हक तय की जाती है।

तनकी संख्या –2 –आया वादी प्रतिवादी की जरिये स्थायी निषेधाज्ञा सदैव के लिए पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी भूमि से जबरन बेदखल नहीं करे। शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे :– इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था जो तनकी संख्या 1 वादीगण के हक में तय होने से अर्थात वादीगण अपने साबिक रिकार्ड के अनुसार काबिज कास्त होने तथा तनकी सं0 1 में यह साबित होने से कि आराजी खसरा नम्बर 1567 का कम किया गया रकबा आराजी खसरा नम्बर 1568 में शामिल किया गया है, इस प्रकार वादीगण अपने पूर्वजो से प्राप्त भूमि पर ही काबिज कास्त करते आ रहे है । तहसीलदार शाहपुरा ने अपनी रिपोर्ट में भी वादीगण के पास 0.52 है0 पर कब्जा होना जाहिर किया गया है। इस प्रकार तनकी संख्या 2 वादीगण के हक में तय की जाती है।

तनकी संख्या –3– अनुतोष :– वादी के पक्ष में तनकी संख्या 1 व 2 साबित होने से वाद पत्र वादी के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के साबिक खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान कायम खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.32 है0 के रकबे की कमि पूर्ति हाल आराजी खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.32है0 में से किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.52 है0 भूमि का वादीगण बाबूलाल, शंकरलाली पि0 बालूराम जाति रैगर निवासी मनोहरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों ।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2021 को सरै इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस
प्रार्थना पत्र संख्या :– 63/2021
उनवान

1. बाबूलाल
2. शंकरलाल

} पि0 बालूराम जाति रैगर निवासी वार्ड नं0 29 अम्बेडकरनगर मनोहरपुर तहसील शाहपुरा प्राथीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहपुरा जिला जयपुर

अप्रार्थीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणाा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

आदेश दिनांक 16.12.2021

अतः दावा वादी के हक में डिक्री किया जाता हैं कि वाके ग्राम मनोहरपुर तहसील शाहपुरा के बिक खसरा नम्बर 1040/5 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके वर्तमान कायम खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.32 है0 के रकबे की कमि पूर्ति हाल आराजी खसरा नम्बर 1568 रकबा 0.32है0 में से किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1567 रकबा 0.52 है0 भूमि का वादीगण बाबूलाल, शंकरलाली पि0 बालूराम जाति रैगर निवासी मनोहरपुर को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जे काश्त व उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व मजाहमत पैदा नहीं करें । तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु तहसीलदार शाहपुरा लिखा जावे।

आज तारीख 16.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा
जिला जयपुर) राजस्थान

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ..... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	1	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तागील कमिश्नर की फीस	1
जोड़		जोड़	